

25	संतकबीर नगर	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
26	हाथरस	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5
27	भदोही	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2
28	हमीरपुर	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2
29	सम्भल	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
30	लखनऊ	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
31	महाराजगंज	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3
32	जालौन	0	1	8	0	6	0	0	1	0	16	0	0	16
योग		3	25	87	1	152	3	1	59	1	325	5	1	331

आज की बैठक में विभिन्न जनपदों से प्राप्त 331 दावा प्रपत्रों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिसमें जटिलता के 05 प्रकरण, मृत्यु के 01 प्रकरण का स्वयं मिशन निदेशक महोदय द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

1. जनपद आगरा से प्राप्त असफल नसबन्दी उपरान्त जटिलता प्रकरण में जिला स्तरीय द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर जटिलता के स्थान पर गर्भधारण की संस्तुति किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा को दावा प्रपत्र इस आशय से वापस प्रेषित किया जाये कि इसका निराकरण कर निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये।
2. जनपदों से प्राप्त समस्त दावा प्रपत्रों का परीक्षण निदेशालय स्तर पर भी किया जाये तथा ऐसे दावा प्रपत्र जिनमे कमियाँ हो, को अपने स्तर से जनपदों को वापस इस आशय से प्रेषित किया जाये कि पाई गई कमियों को पूर्ण कराकर तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराये जाये।
3. परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति की आगामी बैठक में समिति द्वारा अस्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण तैयार किया जाये।

डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा समिति के समक्ष परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त हो रहे असफल नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित प्रकरणों में परीक्षण करते समय निम्नलिखित समस्याएँ आती हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

- नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती होने की सम्भावना है, से सम्बन्धित बहुत सारे दावा प्रपत्र प्राप्त होते हैं, ऐसे दावा प्रपत्रों में क्या निर्णय लिया जाना चाहिये।
- कई बार लाभार्थी मात्र जन्म प्रमाण पत्र(बच्चा/बच्ची होने के बाद) के आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं, ऐसे दावा प्रपत्रों में क्या निर्णय लिया जाना चाहिये।
- कई लाभार्थी असफल नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन के बाद क्लेम करते हैं, ऐसे दावा प्रपत्रों में क्या निर्णय लिया जाना चाहिये।

